# <u>प्रेस नोट दिनाँक- 24.11.2023</u>

(1). आज दिनाँक 23.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 24.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर

उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा परिवारिक विवादों/मतभेदों को समाप्त कराते हुए 01 परिवार को टूटने से बचाया परिवार आपसी मतभेदों/विवादों को भूल खुशी-खुशी रहने को हुए तैयार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगडे को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती सुनीता देवी पत्नी देव कुमार निवासी अर्खन का पुरवा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट ने सूचना दिया कि मेरा पति देव कुमार द्वारा गाली गलौज करना तथा दहेज के लिए उत्पीडन करना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदया के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दोनों पक्षों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन तथा मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह एवं मोनिटरिंग सेल प्रभारी श्री जयप्रकाश उपाध्याय एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 818/2017 धारा 376 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त रज्जू उर्फ बंगाली पुत्र रामखेलावन जनपद चित्रकूट को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 05.09.2017 को कोतवाली कर्वी में थाना क्षेत्र के एक वादी द्वारा सूचना दी गयी थी कि रज्जू उर्फ बंगाली उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ बुरी नियत से उसके साथ छेडखानी किया। इस सूचना पर थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 818/2017 धारा 354 भादवि0 बनाम रज्जू उर्फ बंगाली उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन उ0नि0 श्री दिनेश कुमार यादव द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी एवं विवेचना से धारा 354 भादवि का लोप करते हुये धारा 376 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी थी। दिनांक 07.12.2017 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(5). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी माहेश्वरीदीन तथा मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री जय प्रकाश उपाध्याय तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी

बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 99/2016 धारा 147,148,149,307,386,323,324,504,506 भादवि0 12/14 डीए0 एक्ट के आरोपी अभियुक्त राजकरन उर्फ करन पुत्र बाबाजान जनपद चित्रकूट को 06 वर्ष का कारावास व 15 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 07.08.016 को वादी कु0 मीरा देवी पुत्र राम बहोरी निवासी खाँच मजरा रुकमा बुजुर्ग द्वारा सूचना दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर असलहों व लाठी डण्डो कुल्हाडी एवं बन्दूको की बटो से मार करना व फायर कर अफरा तफरी मचाना के सम्बन्ध में थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 99/2016 धारा 147,148,149,307,386,323,324,504,506 भादवि0 12/14 डीए0 एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचक तत्कालीन उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी एवं आरोपी के विरुद्ध दिनाक 25.06.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। (6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ सुश्री संघमित्रा द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 24/2016 धारा 341,323,504 भादवि0 के आरोपी कल्लू सिंह पुत्र श्रीनाथ सिंह निवासी पूरब पताई थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 30.01.2016 को वादी अजीत सिंह द्वारा प्रार्थना दिया गया था कि कल्लू सिंह द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर मारपीट कर गाली गलौज की गई जिसके संबंध थाना मऊ में मु0अ0स0 24/2016 धारा 341,323,504 पंजीकृत किया विवेचना त्कालीन उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी एवं दिनाँक 22.02.2016 को अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।